न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

R 3380 - PBR/16

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :--

प्रस्तुति दिनांक :---

आवेदिका :-- (1) श्रीमति सुगनाबाई पत्नि जगदीश जाट

(2) श्रीमति संतोषबाई पत्नि लक्ष्मीनारायण जाट

दोनो निवासी ग्राम भुन्नास तह0 हरदा जिला हरदा

श्री संदीप दुबे
अभिभाषक द्वारा
[illegible]

विरूद्ध

उत्तरवादीगण:-- 1- धर्मेन्द्र आ0 हरीप्रसाद जी धोबी

निवासी बायपास रोड खेड़ी महमूदाबाद गौर कालोनी

हरदा तह0 एवं जिला हरदा

(2) शिवनारायण आ0 राधेलाल धोबी

निवासी ग्राम भुन्नास वर्तमान निवासी अशोक वर्मा

परदेशी पुरा लालगढी मकान नं0 105 महाकाली जी के

मंदिर के सामने इंदौर (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका ओरसे आवेदक/ अपीलार्थी, अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 ....

रा0 सं0. ....

उपरोक्त आवेदकगण/ अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हरदा द्वारा राजस्वप्रकरण, क्रमांक 6अ/6 वर्ष 2015-16 ग्राम भुन्नास मे पारित आदेश दिनांक30-8-16 की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह याचिका प्रस्तुत करते है :--

प्रकरण के तथ्य

सुगनाबाई/धर्मेन्द्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(सुगनाबाई/धर्मेंद्र)
जिला हरदा

प्रकरण कमांक निगरानी 3380 –पीबीआर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–9–2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–8–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि पूर्व में आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत था । इसके बावजूद भी आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण अनाश्यक रूप से प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	